अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– ..19../06/2023 से 23/06/2023

जिला– बोकारो, संख्याः– 02/2023–24

केस का प्रकारः– अतिक्रमण वाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
19/06/2023	हल्का राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से सूचित किया गया है कि मौजा पोटसो, खाता सं0 69, प्लॉट सं0 1493, रकवा 1.00 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। किस्म जंगल है। उक्त भूमि खेल मैदान हेतु चयनित किया गया है जिसपर जागेश्वर महतो पिता तेजो महतो, ग्राम पोटसो के द्वारा भूमि पर आपत्ति किया जा रहा है। मूल कागजात की जांच हेतु कार्यालय से नोटिस किया जा सकता है। आपत्ति कर रहे व्यक्ति को भूमि संबंधी कागजातों के साथ उपस्थित होने के लिये नोटिस निर्गत करें। हल्का राजस्व उननिरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वाद की अंतिम सुनवाई तक निर्माण कार्य पर रोक लगायें। A. Sinha 19/06/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह। तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक..23/06/2023.. को उपस्थापित करें। A. Sinha 19/06/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
23/06/2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पक्ष उपस्थित। उनके द्वारा भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है एवं किस्म जंगल है जो कि सरकारी भूमि है। भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नामित व्यक्ति के पास नहीं है। अतः उक्त सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश दिया जाता है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक इस पर सतत निगरानी रखेंगें। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। A. Sinha 23/06/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह। A. Sinha 23/06/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.06.28 15:19:16 +05:30
Location: 192.168.43.111

Scanned with CamScanner